संख्या 21034/11/2010-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई, 2011

22 JUL 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए हिंदी भाषा कार्यशालाओं का आयोजन- प्रति सत्र पारिश्रमिक की राशि में वृद्धि|

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए अतिथि वक्ताओं के तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि को निम्नलिखित दरों के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- (पॉच सौ रुपये मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा| किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक के रुप में देय राशि 5000/- रुपये से अधिक नहीं होगी|

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों से भिन्न अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा| 5000/- रुपयेप्रति वर्ष के देय पारिश्रमिक की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी|

2. यह कार्यालय ज्ञापन गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग की दिनांक 15.06.2011 की डायरी संख्या 93000/एस एस एवं एफ ए (एच) द्वारा दी गयी उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है|

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे|

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)

निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)|
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली|
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली|
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली|
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली|
6. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली|